न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री हरिसिंह मीना आर.ए.एस.)

मु0 संख्या :– 43 / 2020

आरसीएमएस : 2020 / 00022

प्रार्थी

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादय सुरक्षा अधिकारी ,जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री किशनलाल जैन पुत्र मांगीलाल जैन उम्र 54 वर्ष निवासी देवतों का पाडा, मोहनगढ जिला जैसलमेर (राज.)
2. मैसर्स अंकित जनरल स्टोर, मैन रोड, मोहनगढ जिला जैसलमेर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री किशनलाल जैन ।

:: **आदेश** ::

दिनांकः 19.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.10.2018 को 11:00 एएम पर मैसर्स अंकित जनरल स्टोर, मैन रोड, मोहनगढ जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स अंकित जनरल स्टोर, मैन रोड, मोहनगढ जिला जैसलमेर (राज.) दुकान / सस्थान पर विक्रेता श्री किशनलाल जैन पुत्र मांगीलाल जैन कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर होना नही बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान मे वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड को खाद्य पदार्थ का विकय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वय के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। ततपश्चात वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड की नमूने वास्ते 1–1 लीटर में चार पैक डिब्बे लिये जिसके पेटे 720 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड के 1–1 लीटर के 04 पैक डिब्बे नमूने लिये प्रतयेक को मोके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन–901 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खादय पदार्थ का विवरण एन–901 वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड खादय पदार्थ लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते मे लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एव गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खादय विश्लेषक, जोधपुर को श्री टाकूरराम, च.श्रे.कर्म. के द्वारा दिनांक 29.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खादय विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 27.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमाक / एफएसएसए / 2018 / 4578–80 दिनाक 28.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादय सुरक्षा एव मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सख्या L.S./817/Act/2018/836 दिनांक 28.11.2018 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सबस्टैण्डर्ड) एव मिथ्याछाप पाया गया। खादय विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक / एफएसएसए / 2018 / स्वी. / एन–901 / 3961–63 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री किशनलाल जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन उम्र 54 वर्ष निवासी देवतों का पाडा, मोहनगढ जिला जैसलमेर 2. मैसर्स अंकित जनरल स्टोर मैन रोड, मोहनगढ जिला जैसलमेर ने अमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड खादय पदार्थ का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से दिनांक 18.02.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया है कि मेरी दुकान मैसर्स अंकित जनरल स्टोर मैन रोड, मोहनगढ जिला जैसलमेर मे दिनांक 27.10.2018 को खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया जो निर्मित सामग्री सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप पायी गयी है। निर्मित सामग्री मेरे द्वारा मैसर्स तरूण किराणा स्टोर, जैसलमेर द्वारा खरीद किया गया। जिसमें वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड का खादय पदार्थ का सेम्पल लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया है। निर्मित सामग्री वनस्पती घी जो पूजा–पाठ व हवन कार्यो के उपयोग में लिया जाता है। वनस्पती घी को मेरे द्वारा जिस अवस्था में खरीद किया गया, उसी अवस्था में दुकान में रखा गया। जिसमें मेरे द्वारा कोई भी हैर फैर नही किया गया है। भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./817/Act/2018/836 दिनांक 28.11.2018 के अनुसार वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड खादय पदार्थ घी का उक्त नमूना अमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप पाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर अमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप स्तर के वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड खादय पदार्थ घी का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री किशनलाल जैन जो मैसर्स अंकित जनरल स्टोर, मैन रोड, मोहनगढ जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर पर अमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप स्तर की खाद्यय वस्तु वनस्पती फैड अर्पण ब्राण्ड खादय पदार्थ घी विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्यय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिसिंह मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं